

Order Sheet [Contd]

Case No 100028/16mjc Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15-12-16	<p>आवेदक/आरोपी की ओर से श्री दीपक गोयल अधिवक्ता । प्रतिनिगरानीकर्ता अर्निवाहित ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा मृतक नीतेश सोनी की दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप क्लेम दावा पेश किया था जिसमें न्यायालय के द्वारा दिनांक 12-3-2016 को अवार्ड पारित कर 3,74,000/-रुपये का अवार्ड पारित किया था जो बीमा कंपनी के द्वारा जमा करा दिया गया है । आवेदिका क्रं01 का देहांत दिनांक 10-5-16 को हो गया है ऐसी दशा में आवेदक क्रं0 2 व 3 को उक्त जमा सुदा राशि दिलवाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया है ।</p> <p>नाजिर रिपोर्ट के अनुसार प्र0क्रं0 33/14 क्लेम में चेक क्रं0 756813 दिनांक 8-7-16 के द्वारा 420675 रुपये जमा होकर शेष हैं ।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया संबंधित अवार्ड के आदेश की सत्य प्रतिलिपि का भी अवलोकन किया गया । क्लेम प्र0क्रं0 33/14 में आदेश दिनांक 12-3-16 के अनुसार आवेदिका क्रं01 श्रीमती सुनीता सोनी को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया था । अन्य आवेदकगण क्रं0 2 रामकुमार सोनी और आवेदक क्रं03 निधि सोनी को कोई भी प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश नहीं है ।</p> <p>चूंकि आवेदिका क्रं01 श्रीमती सुनीता सोनी की दिनांक 10-5-16 को मृत्यु हो जाना बताया गया है तथा इस संबंध में उसका मृत्यु प्रमाणपत्र भी पेश किया गया है । प्रकरण में आवेदिका क्रं01 की मृत्यु हो जाने से आवेदक क्रं0 2 व 3 को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है । किन्तु प्रकरण में आवेदक क्रं0 2 व 3 के हित में कोई क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का अवार्ड पारित नहीं किया गया है ।</p>	

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आवेदिका क्रं०१ सुनीता सोनी जिसके पक्ष में कि प्रतिकर की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया है उसकी मृत्यु हो चुकी है । उसे प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि के संबंध में विधिवत् उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश होने पर ही उसके बारिसों को प्रतिकर की राशि अदा करने का आदेश दिया जा सकता है ।

अतः आवेदक क्रं० २ व ३ मृतक सुनीता सोनी की मृत्यु के पाश्चात् उसको प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं । इस संबंध में मृतिका को प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर राशि भुगतान किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदनपत्र वास्ते जमा सुदा राशि का भुगतान किये जाने बाबत् उक्त परिप्रेक्ष्य में इस स्टेज पर निरस्त किया जाता है ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड

